भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3823

दिनांक 25 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

बिहार में मिशन सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0 और 'पालना' योजना

3823. श्री मोकरिया रामभाई:
श्री शंभू शरण पटेल:
श्रीमती किरण चौधरी:
श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण:
श्री मनन कुमार मिश्र:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्नत एलईडी स्क्रीन एवं बेहतर अवसंरचना से युक्त आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या एक लाख तक पहुँच गई है;

(ख) चेहरा पहचान प्रणाली (एफआरएस) के एकीकरण से टेक-होम राशन (टीएचआर) के वितरण में पारदर्शिता किस प्रकार बढ़ी है;

(ग) ''पोषण भी पढ़ाई भी'' प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 10 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रदान किए गए प्रशिक्षण के परिणाम क्या रहे हैं;

(घ) क्या पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के माध्यम से प्रति माह 8 करोड़ से अधिक बच्चों की वृद्धि की निगरानी सफलतापूर्वक की जा रही है; और

(ड.) मार्च, 2026 तक देशभर में संचालित आंगनवाड़ी-सह-क्रेच केंद्रों की संख्या कितनी है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): मिशन पोषण 2.0 के तहत, 15वें वित्त आयोग चक्र की अवधि में, सरकारी भवनों में स्थित दो लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से सक्षम

आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि बेहतर पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा प्रदान की जा सके। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर अवसंरचना प्रदान की जाती है, जिसमें एलईडी स्क्रीन, जल शोधन प्रणाली, पोषण वाटिका, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा सामग्री तथा बाला पेंटिंग शामिल हैं। दिनांक 20.03.2026 तक, देश भर में कुल 1,04,403 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत किया जा चुका है।

(ख): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने घर ले जाने वाले राशन वितरण की अंतिम लाभार्थी तक निगरानी करने के लिए पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन में चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस) तैयार की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ केवल एप्लिकेशन में पंजीकृत लक्षित लाभार्थी को ही मिले। इसके अलावा, आधार आधारित ट्रैकिंग से लाभार्थियों की सही पहचान संभव हो पाई है, डेटा लीक को रोका जा सका है और फर्जी प्रविष्टियों को समाप्त किया जा सका है।

(ग): दिनांक 16 मार्च, 2026 तक, पोषण भी पढ़ाई भी (पीबीपीबी) कार्यक्रम के पहले चरण में 41,648 राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर (एसएलएमटी) और 10,40,590 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को प्रशिक्षित किया जा चुका है। एडब्ल्यूडब्ल्यू को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई) शिक्षण पद्धति और पोषण सेवाओं की प्रदायगी में प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई प्रदान करने में एडब्ल्यूडब्ल्यू की क्षमता का निर्माण करना है।

(घ): आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी), सभी गतिविधियों आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और लाभार्थियों की की निर्धारित संकेतकों पर निगरानी और ट्रैकिंग के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी के साधन के रूप में 'पोषण ट्रैकर' डिजिटल एप्लिकेशन आरंभ किया गया है। इसने आंगनवाड़ी सेवाओं जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों का खुलना, बच्चों की दैनिक उपस्थिति, ईसीसीई गतिविधियाँ, बच्चों की वृद्धि की निगरानी, पूरक पोषण का प्रावधान आदि के लिए लगभग तत्समय (रीयल टाईम) आंकड़ो के संग्रह की सुविधा प्रदान की है। पोषण ट्रैकर के अंतर्गत प्रौद्योगिकी का उपयोग 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में ठिगनापन, दुबलापन, अल्प-वजन और अधिक-वजन की व्याप्तता की निरंतर पहचान के लिए किया जा रहा है। इन संकेतकों पर राज्य-वार जानकारी पोषण ट्रैकर के पब्लिक डैशबोर्ड https://www.poshantracker.in/statistics पर उपलब्ध है।

(ङ.): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिनांक 1 अप्रैल 2022 से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए व्यापक मिशन शक्ति के सामर्थ्य वर्टिकल के अंतर्गत पालना योजना आरंभ की है।

आंगनवाड़ी केंद्र विश्व के सबसे बड़े शिशु देखरेख संस्थान हैं जो अंतिम लाभार्थी तक देखरेख सुविधाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करके बच्चों को आवश्यक देखरेख और सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। अपनी तरह के पहले प्रयास में, मंत्रालय ने आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) के माध्यम से शिशु देखरेख की सेवाओं का विस्तार किया है। आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में 'महिला कार्यबल भागीदारी' बढ़ाना है। इस योजना का उद्देश्य 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधा, पोषण सहायता प्रदान करना बच्चों के स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास, विकास निगरानी और टीकाकरण सुनिश्चित करना है। पालना के अंतर्गत क्रेच की सुविधाएं सभी माताओं को प्रदान की जाती हैं, चाहे उनकी रोजगार स्थिति कुछ भी हो।

पालना योजना केंद्र प्रायोजित योजना है। कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठकें राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ प्रतिवर्ष आयोजित की जाती हैं, जिनमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आंगनवाड़ी-सह-क्रेच खोलने और उन्हें कार्यान्वित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अपना निर्धारित हिस्सा प्रदान करते हैं।

15वें वित्त चक्र के दौरान अर्थात् वित्तीय वर्ष 2025-26 तक, पालना योजना के तहत कुल 17,000 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) स्थापित किए जाने हैं। अब तक, देश भर में 3,130 एडब्ल्यूसीसी कार्यशील हैं।
